न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जालोर।

पीठासीन अधिकारी : महेन्द्र कुमार टॉक, आर.जे.एस.
(UID No. RJ 865)

फौज. विविध प्र.सं. : 564/2024
सी.आई.एस. नंबर : 564/2024
सी.एन.आर. नंबर : RJJL060023422024

प्रार्थीया :–

श्रीमती मीरा पत्नी श्री चेतन सुथार, पुत्री श्री जामताराम, उम्र 24 वर्ष, निवासी पावली, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर, हाल कुशलापुरा, तहसील भीनमाल, जिला जालोर।

ब ना म

प्रत्यर्थीगण :–

01. चेतन सुथार पुत्र श्री हरियाराम,

02. हरियाराम पुत्र श्री पीथाराम,

03. श्रीमती प्यारी देवी पत्नी श्री हरियाराम, निवासीगण पावली, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।

प्रार्थना पत्र बाबत घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अधीन अंतरिम और एकपक्षीय आदेश मंजूर करने की शक्ति।

उपस्थित :–

01. श्री राहुल गोस्वामी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया।
02. श्री नंदपाल सिंह देवड़ा, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

–: आ दे श :–

दिनांक : 11.05.2026

01. प्रार्थीया श्रीमती मीरा की ओर से घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अधीन अंतरिम और एकपक्षीय आदेश मंजूर करने की शक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घरेलू से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 14, 18, 19, 20, 22

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.
भीनमाल जिला-जालोर (राज.)

व 23 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया को मूल प्रार्थना पत्र में सफलता मिलने की पुरी–पुरी संभावना व आशा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ मारपीट कर व ताने देकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर भरण–पोषण से वंचित कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थीया शारीरिक व मानसिक रूप से हैरान–परेशान हो रही है तथा अत्यधिक परेशानी से प्रार्थीया अक्सर बीमार व मानसिक तनाव में रहती है। प्रार्थीया को माह मार्च 2024 से अप्रार्थीगण ने अपने पीहर कुशलापुरा में बैठी है, जिससे उसके भरण–पोषण की कहीं व्यवस्था नहीं है, जबकि अप्रार्थीगण पावली में रहवासीय मकान में निवास करते है तथा अप्रार्थीगण के कमाई के पर्याप्त साधन है। अप्रार्थीगण के पर्याप्त साधनों वाले साधन सम्पन्न लोग है। अप्रार्थीगण के पावली में कृषि भूमि आई हुई है, जिस भूमि में बम्पर पैदावार होती है तथा अच्छी आय प्राप्त कर रहे है, जिससे अप्रार्थीगण स्वयं का एवं प्रार्थीया का भरण–पोषण करने के लिए पूर्णतया सक्षम है। अप्रार्थीगण की स्थिति काफी मजबूत है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीया को भूखे मरने के लिए बिना इलाज के गांव कुशलापुरा में छोड़ दिया है तथा प्रार्थीया अपने स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है। प्रार्थीया को स्वयं के लिए माहवारी खाने–पीने, कपड़े–लत्ते, बीमारी में इलाज व किराया व अन्य खर्च, दवाई इत्यादि हेतु प्रतिमाह करीब 10,000/– रूपए अक्षरे बीस हजार रूपए प्राप्त करने की अधिकारिणी है, जो प्रार्थीया अप्रार्थीगण से प्राप्त करने की अधिकारिणी है, जबकि प्रार्थीया कमाने में असक्षम है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को विलफुली नेगलेक्ट कर रखा है, जिस कारण से अप्रार्थीगण को 10,000/– रूपए अक्षरे दस हजार रूपए प्रतिमाह अंतरिम रूप से भरण–पोषण व मेन्टेनेंस भी दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अंत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण से प्रार्थीया को 10,000/– रूपए अक्षरे दस हजार रूपए प्रतिमाह अंतरिम रूप से भरण–पोषण व मेन्टेनेंस भी दिलाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

02. प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि विवाह के बाद में परिवादी, मेरी पत्नी मुलजिमा मीरा को लेकर अपने घर गॉव पावली लेकर आया एवं अपने वैवाहिक धर्म का पालन किया। लेकिन, मुलजिमा मीरा विवाह से पूर्व एवं विवाह के बाद भी मुझ परिवादी को पत्नी

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल (राज.)

का प्यार नहीं दिया एवं मेरे साथ तिरस्कार पूर्वक व्यवहार करती एवं बात बात पर कहती कि मेरे माता पिता ने तेरे से मेरी मर्जी के बिना शादी की है। मैं तो मेरी मर्जी से शादी करना चाहती थी। फिर भी मैंने उसे समझाया कि अब तो हमारी शादी हो चुकी है एवं अब अपनी अपनी पंसद का कोई औचित्य नहीं रहा एवं हम दोनों अपने वैवाहिक जीवन को सही एवं अच्छे माहौल में निर्वहन करे, इसी में हम दोनों की समझदारी होगी। लेकिन, मुल. मीरा कभी भी मुझे अपने पति का दर्जा नहीं दिया एवं ना ही अपने पतिवर्ता धर्म का पालन किया, एवं मुझ पर दवाब डालती कि तूम मुझे तलाक लिख कर दो, लेकिन जब मैंने उसके कहे मुताबित तलाक लिख कर नहीं दिया तो उसने मेरे से पीछा छुडाने के लिए एक मनगढन्त एवं झूंठी एफ.आई.आर. मेरे व मेरे माता पिता के विरूद्ध दर्ज करवाई। जिसमें मेरे माता पिता को निर्दोष मान कर उन्हे चार्जशीटेड नहीं किया। लेकिन, उक्त प्रकरण दर्ज कराने से हमारी सामाजिक बदनामी हुई। मेरी पत्नी ने मेरे से छुटकारा पाने के लिए उक्त प्रकरण झूंठा दर्ज करवाया ताकी उसकी आड़ मैं वह मेरा परित्याग कर सके एवं दूसरी शादी अपने प्रेमी से कर सके। प्रार्थीया ने अब दुसरा विवाह कर देने से वह अप्रार्थी कि विवाहीत पत्नी नहीं रहने सें वह अप्रार्थी से किसी प्रकार की भरण पोषण राशि प्राप्त करने की कानूनीया अधिकारीणी नहीं है। (प्रार्थीया ने बिना युक्त कारण के अपने प्रेमी जीतू से दुसरा विवाह कर वर्तमान में अपने पति जीतू के साथ जारता में रह रही है।

जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थीया द्वारा मुझ पति से छुटाकारा पाकर अपने पूर्व प्रेमी जीतू उर्फ जीतेन्द्र कुमार पुत्र रताजी, निवासी भागल शेफ्टा तहसील भीनमाल जिला जालौर से विवाह करना चाहती थी। जिस कारण उसने बिना युक्ति युक्त कारण के मेरा अप्रेल, 2024 को मेरा परित्याग कर अपने पिता के साथ अपने पीहर कुशलापुरा गई तब से वह वही पर रह रही है एवं अपने पीहर जाने के बाद जब हम मनाने गये तो हमारे विरूद्ध झूंठा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर दिया। मेरे घर से जाने के बाद मेरी पत्नी मुलजिमा मीरा अपने बॉय फ्रेन्ड जीतू उर्फ जीतेन्द्र पुत्र रताजी, निवासी भागल शेफ्टा के साथ अपने प्रेम सम्बन्ध स्थापित कर दिये एवं उसके साथ जारता मे रहने लगी। जिसकी जानकारी मिलने पर मैंने व मेरे परिवार वालों ने उसे व उसके परिवार वालो से समझाईश कि लेकिन मीरा जीतू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। जब हमने समाज के पंचो के जरिये समझाईस कि तो मेरी पत्नी मीरा ने जीतू उर्फ जीतेन्द्र के साथ विवाह करने का ऐलान किया

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीनमाल

तब भी हमने उसे समझाया कि हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है। इसलिए आप जीतेन्द्र के साथ दुसरा विवाह नहीं कर सकती तो उसने कहा कि मुझे रोकने वाले तूम कौन होते हो। फिर पता चला कि मेरे ससूराल वाले मेरी पत्नी मीरा का दुसरा विवाह उसके प्रेमी जीतू उर्फ जीतेन्द्र पुत्र रताजी, निवासी भागल शेफ्टा के साथ दिनांक 08.06.2025 को रात्रि मैं कर रहे हैं। तब उक्त जानकारी मिलने पर दिनांक 08.06.2025 को सुबह 11 बजे मै मेरे पिता हरियाराम जी, आसाराम पुत्र मसरा जी सुथार निवासी पावली, सभी जीतू उर्फ जीतेन्द्र के घर गॉव कुशलापुरा गये जहा पता चला कि ये लोग मेरी पत्नी का दुसरा विवाह छुप कर जीतू के भाई वजाराम के घर पर द्वितीय विवाह कर रहे है। तब हम 12 बजे वजाराम के घर गये तो वहा देखा कि वजाराम के घर पर चवरी सजी हुई है एवं विवाह समारोह के टेन्ट लगे हुए है, मेहमान आये हुए है एवं भागल शेफ्टा से बारात आने का इन्तजार कर रहे है। फिर हमने मुलजिमा श्रीमति मीरा एवं उसके पिता जामता पुत्र मौडा जी, उसकी माता श्रीमति रेखा पत्नी जामता जी, काका मसराराम पुत्र मौडा जी, जैपाराम पुत्र मौडाजी एवं भाई वजाराम पुत्र जैपाजी, द्वितिय विवाह की तैयारी कर रहे को हमने समझाईस की कि आप मीरा का दुसरा विवाह मत करो, लेकिन वे नहीं माने व हमें धमकी दी की हम मीरा का द्वितीय विवाह हर हॉल में करके रहेंगे तूम्हारी भलाई इसी में है कि यहां से चुपचाप चले जाओ नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतने मे शाम को 6 बजे भागल शेफ्टा से बारात आई। जिसमें मुलजिम जीतू दुल्हा बना हुआ था एवं बारात में उसकी माता पवनी पत्नी रताजी, भाई पीथाराम पुत्र रताजी एवं अन्य समाज के लोग थे। हमने उनसे भी हाथा जोड़ी की व कहा कि अभी मेरे व मीरा के बीच किसी न्यायालय से तलाक नहीं हुआ है, इसलिए मीरा से दुसरा विवाह मत करो, तो उन्होंने कहा कि जीतू एवं मीरा आपके विवाह से पूर्व प्रेम करते है एवं मीरा जीतू से ही शादी करना चाहती थी। इसलिए हम तो जीतू की शादी मीरा से करेंगे। जब हमने उनसे कहा कि आप जिद्द मत करो तो वे नहीं माने एवं हमारे देखते देखते रात्रि 9 बजे के आसपास मीरा व जीतेन्द्र ने अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर दुसरी शादी कर दी एवं हमारे उपर हमलावर होकर आये तो हम डर के मारे कुछ नहीं कर पाये एवं विवाह समरोह एवं फेरे समाप्त होने के बाद हम पुलिस थाने गये तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते आप कोर्ट में जावो तब मैंने प्रार्थीया के विरूद्व द्वितीय विवाह का परिवाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है। जिसमें बयान हो

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीनमाल जिला-जालोर (राज.)

चुके है। प्रार्थीया द्वारा बिल्कूल ही झुठे तथ्यो पर प्रार्थना पत्र पेश करने से उसे मय खर्चा खारिज फरमावे एवं आज वह मेरी पत्नी नहीं होकर अपने नये पति जीतू उर्फ जीतेन्द्र कुमार की पत्नी होने से मेरे विरूद्ध कोई रिलिफ पाने कि अधिकारीणी नहीं हैं

अंत में प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

03. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई। स्वयं अप्रार्थी द्वारा राजीनामा प्रार्थीया के पक्ष में लिखा गया हैं। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अंतरिम रूप से दस हजार रूपये अन्तरिम भरण–पोषण के रूप में प्रदान किए जाने का आदेश फरमाया जावें।

उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीया द्वारा दहेज उत्पीड़न का झूठा मुकदमा कर अपने पीहर में निवासित है। प्रार्थीया द्वारा जितेंद्र के साथ दूसरा विवाह किया गया है। अप्रार्थी द्वारा कोई घरेलू हिंसा कारित नहीं की गई। अंत में प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

04. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थीया द्वारा घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मात्र मौद्रिक अनुतोष ही अपेक्षित किया गया। उभय पक्षकारान की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के रजनेश बनाम नेहा (2021) 2 एस.सी.सी. 324 के निर्देशानुसार प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थीया श्रीमती मीरा सुथार प्रत्यर्थी चेतन सुथार की वैध विवाहिता पत्नी है। प्रत्यर्थी की ओर से ऐसा कोई कथन नहीं किया गया हैं कि प्रार्थीया उसकी विवाहिता पत्नी न हों। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पुलिस थाना भीनमाल में दी गई रिपोर्ट पर चेतन सुथार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. में प्रकरण दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रार्थीया व प्रत्यर्थी चेतन सुथार के साथ ही

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल (राज.)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल जिला-जालोर (राज.)

उनके पारिवारिक सदस्यों व समाज के गौजिज व्यक्तियों के मध्य राजीनामा बाबत इकरारनामा दिनांक 13.02.2024 को निष्पादित किया जाना प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज से प्रथम दृष्टया प्रकट हैं। उक्त दस्तावेज में प्रार्थीया मीरा अपनी मर्जी से पीहर नहीं आने तथा मानसिंह व शारीरिक प्रताड़ित करने से एवं किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं करने से भेजा जाना वर्णित किया गया हैं। जिससे प्रथम दृष्टया ही प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थीया के साथ घरेलू हिंसा कारित किया साबित हैं। जिसका कोई स्पष्ट खण्डन प्रत्यर्थी की ओर से नहीं किया गया है। जहां तक प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा जीतु उर्फ जितेन्द्र के साथ दिनांक 08.06.2025 को द्वितीय विवाह किए जाने का प्रश्न हैं ? न्यायालय के विनम्र मत में इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी की ओर से मात्र मौखिक कथन किए गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं। इसके साथ ही उक्त तथ्य का विनिश्चिय उभय पक्षकारान की साक्ष्य से ही मूल प्रार्थना पत्र में किया जा सकेगा। प्रत्यर्थी का विधिक, नैतिक व सामाजिक दायित्व है कि वह अपनी विवाहिता पत्नी का भरण पोषण करें। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 के स्पष्टीकरण (iv) में आर्थिक दुरूपयोग भी वर्णित किया गया है :

> **(iv) "economic abuse" includes-**
> **(a) deprivation of all or any economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled under any law or custom whether payable under an order of a court or otherwise or which the aggrieved person requires out of necessity including, but not limited to, household necessities for the aggrieved person and her children, if any, stridhan, property, jointly or separately owned by the aggrieved person, payment of rental related to the shared household and maintenance;**

ऐसी दशा में हस्तगत प्रकरण में उभय पक्षकारान की ओर से किए गए कथनों व प्रस्तुत शपथ पत्रों के समग्र अवलोकन से प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थीया के साथ घरेलू हिंसा कारित किया जाना साबित है। प्रत्यर्थी की ओर से बचाव में जो कथन किए गए हैं। उसके सम्बन्ध में न्यायालय के विनम्र मत में प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तरिम अनुतोष का हैं, पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीया के मूल प्रकरण निस्तारित किया जाना शेष हैं। ऐसी दशा में

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल जिला-जालोर (राज.)

इस स्तर पर प्रार्थीया प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा कारित किया जाना प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रही हैं। प्रत्यर्थी द्वारा अपने शपथ पत्र में स्वयं की मासिक आय दस हजार रूपए होना वर्णित किया गया हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थीया द्वारा प्रत्यर्थी की आय के सम्बन्ध में पावली में कृषि भूमि होने व उससे बम्पर पैदावार होकर अच्छी आय होना वर्णित किया गया हैं। किन्तु, इस सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रथम दृष्टया ही प्रस्तुत नहीं की गई हैं। परन्तु, न्यायालय के विनम्र मत में यह नहीं माना जा सकता हैं कि प्रत्यर्थी चेतन सुथार की कोई मासिक आय ही न हो और प्रत्यर्थी का कोई आय का स्रोत न हों। प्रत्यर्थी का यह विधिक, नैतिक व सामाजिक दायित्व हैं कि वह रोजगार प्राप्त कर अपनी पत्नी का भरण पोषण करें। ऐसी दशा में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

05. परिणामस्वरूप प्रार्थीया श्रीमती मीरा पत्नी श्री चेतन सुथार, पुत्री श्री जामताराम, उम्र 24 वर्ष, निवासी पावली, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर, हाल कुशलापुरा, तहसील भीनमाल, जिला जालोर द्वारा प्रत्यर्थीगण चेतन सुथार वगैरा के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी चेतन सुथार को आदेशित किया जाता हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत वह प्रार्थीया को भरण पोषण, दैनिक आवश्यकताओं के खर्च व अन्य आवश्यक खर्चों हेतु मौद्रिक अनुतोष के रूप में रूपए 2500/— अक्षरे दो हजार पांच सौ रूपये प्रतिमाह की दर से पक्षकारों के मध्य धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अदा करेगा। प्रत्यर्थी उक्त राशि रूपए 2500/— अक्षरे दो हजार पांच सौ रूपए इस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दिनांक 30.09.2024 से अदा करेगा। इस आदेश तक की पूर्व अवधि की बकाया सम्पूर्ण राशि छह माह के भीतर भीतर पांच किश्तों में प्रत्यर्थी चेतन सुथार प्रार्थीया को अदा करेगा। प्रत्यर्थी द्वारा आदेश दिनांक से पूर्व की बकाया राशि उक्त अवधि में अदा नहीं किए जाने की दशा में आदेश

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल (राज.)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल जिला-जालोर (राज.)

दिनांक से पूर्व की बकाया राशि एक मुश्त प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी रहेंगी। आगामी माह को देय होने वाली राशि प्रत्येक माह की दस तारीख तक प्रत्यर्थी चेतन सुथार प्रार्थीया को अदा करें। प्रार्थीया यदि सक्षम न्यायालय से या अन्य प्रावधानों में तहत पूर्व से भरण पोषण के पेटे कोई राशि प्राप्त कर रही हों या भविष्य में किसी अधिनियम के तहत प्रार्थीया, प्रत्यर्थी चेतन सुथार से कोई राशि प्राप्त करने का आदेश प्राप्त करेंगी तो उस दशा में प्रत्यर्थी चेतन सुथार ऐसी किसी राशि को इस राशि में समायोजित करने का अधिकारी रहेगा। आदेश की प्रति उभय पक्षकारान को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

(महेन्द्र कुमार टॉक)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीनमाल जिला-जालोर (राज.)

06. आदेश आज दिनांक 11 मई, 2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(महेन्द्र कुमार टॉक)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर।